

02.11.2019

अतः प्रस्तुत चालान खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश परिवादी चालान अन्तर्गत-258 खारिज
किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल
अभिलेखागार हो!

सी०जे०एम० - मेरठ।

His is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy please refer to certified copy